संख्या-183/2024/11-6-2024-एम(21)/22

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
लखनऊ/प्रयागराज/इटावा/ गाजीपुर/
फतेहपुर/कानपुर/हरदोई/मिर्जापुर।

राज्य कर अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांकः 02 जनवरी, 2024

विषयः उ0प्र0 चलचित्र निगम को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप फ्री होल्ड भूखण्ड पर निर्मित सम्पतियां, जो बिक्रीत है अथवा ब्रिकीत हेतु शेष है, का बैनामा (रजिस्ट्री) कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, राज्य कर उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, उ0प्र0 चलचित्र निगम की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल की दिनांक 01.12.2023 को 104वीं बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उ0प्र0 चलचित्र निगम के ऐसे छविगृह जो फ्री होल्ड भूखण्ड पर निर्मित, ब्रिकीत है अथवा विक्रय हेतु शेष है, के बैनामा किये जाने के संबंध में लिया गया निर्णय निम्नवत है:-

''उ0प्र0 चलचित्र निगम की वो सम्पत्तियांए जो फ्री होल्ड भूमि पर निर्मित ब्रिकीत/अब्रिकीत है, क्रेता द्वारा यदि उससे संबंधित समस्त धनराशि (विक्रय मूल्य एवं अन्य राजकीय देय) जमा कर दी गयी हो तथा जो ब्रिकीत नहीं है, उनके बिक्रय से प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि राजकीय राजकोष में जमा की जायेगी, के संबंध में क्रेता द्वारा राज्य कर विभाग/उ0प्र0 चलचित्र निगम एवं स्थानीय स्तर पर संबंधित विभागों से समस्त प्रकार के अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट बैनामा की अनुमति हेतु प्रस्ताव, अध्यक्ष उ0प्र0 चलचित्र निगम को उपलब्ध करायेंगे। अध्यक्ष, उ0प्र0 चलचित्र निगम के अनुमोदनोपरान्त संबंधित जनपद के अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/र0) द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित करते हुए सम्पत्ति के बैनामा की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।''

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश है कि कृपया अपने जनपद में स्थित उ0प्र0 चलचित्र निगम के छविगृहों के बैनामे के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 183/2024/(1) /11-6-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 चलचित्र निगम लखनऊ/आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), (लखनऊ/ प्रयागराज/इटावा/गाजीपुर/फतेहपुर/कानपुर/हरदोई/मिर्जापुर) उ0प्र0 को इस आशय से निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 चलचित्र निगम की फ्री होल्ड भूमि का बैनामा किये जाने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in